



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1772]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 17, 2018/वैशाख 27, 1940

No. 1772]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 17, 2018/VAISAKHA 27, 1940

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2018

का.आ. 1964(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाएगा:—

आदेश

राष्ट्रपति द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के आदेश सं. का. आ. 3755 (अ), तारीख 27 नवम्बर, 2017 द्वारा पंद्रहवें वित्त आयोग का गठन किया गया था और डॉ. अशोक लाहिड़ी को उक्त आयोग में सदस्य (अंशकालिक) के रूप में नियुक्त किया गया था;

और, डॉ. अशोक लाहिड़ी ने अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी, अंशकालिक) बंधन बैंक के पद से त्यागपत्र दे दिया है; और राष्ट्रपति डॉ. अशोक लाहिड़ी को वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं और उस प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त आदेश में निम्न संशोधन किया जाता है, अर्थात:—

उक्त आदेश के पैरा 1 में, क्रम सं. 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:—

- “3. डॉ. अशोक लाहिरी - सदस्य”
 पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार,
 वित्त मंत्रालय
 और
 पूर्व अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी, अंशकालिक)
 बंधन बैंक

ह/--

राम नाथ कोविंद
 भारत के राष्ट्रपति

[एफ सं. 10(3)-बी(एस)/2016]

अरविन्द श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (बजट)

टिप्पण : वित्त आयोग के गठन के लिए मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 3755(अ) तारीख 27 नवंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2018

S.O. 1964(E).—The following order made by the President to be published for general information:—

ORDER

Whereas, the Fifteenth Finance Commission has been constituted by the President by an Order published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification of the Government of India in the Ministry of Finance, (Department of Economic Affairs) number S.O. 3755 (E), dated the 27th November, 2017, and Dr. Ashok Lahiri was appointed as a Member (Part time) of the said Commission;

And, whereas, Dr. Ashok Lahiri has resigned as Chairman (Non-executive, part time) Bandhan Bank; And, whereas, the President is pleased to appoint Dr. Ashok Lahiri as Member of the Finance Commission and for that purpose makes the following amendment in the Order aforesaid, namely: -

In the said Order, in paragraph 1, for serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

- “3. Dr.Ashok Lahiri - Member”
 Former Chief Economic Adviser,
 Ministry of Finance
 and
 Former Chairman (Non-executive, part time)
 Bandhan Bank

Sd/-

RAM NATH KOVIND
 President of India

[F. No. 10(3)-B(S)/2016]

ARVIND SHRIVASTAVA, Jt. Secy. (Budget)

Note : The principal notification for constitution of the Finance Commission was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 3755 (E), dated the 27th November, 2017.